

(6)

श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर पीठ रीवा संभाग
रीवा



निः-५५५५-३-१३

श्री ग्वालियर पीठ प्रेसिडेंसी
वीरा द्वारा २१२१३

३७१। वेताक अफ कोट १-कक्षमण प्रसाद तनयश्री राजकरण पटेल सा० पड़िरिया
तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा मा० प्र०
आनन्द बहादुर तनय श्री राजकरण पटेल सा०
पड़िरियों तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा मा० प्र०
प्राप्त प्र०

----आवेदक गण / रेस्पांगण

बनाम

शिवदयाल पटेल तनय श्री काशीनाथ पटेल सा० पड़िरिया
तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा मा० प्र०

----अनावेदक / अपीलान्ट

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री
अनुबिभागीय अधिकारी प्रभारी
तहसील रायपुर कर्चु० रा०
प्रकरण क० २७३६/ ०९-०१०
आदेश दिनांक ०४/१०/१३
मुताविक धारा ५० मा० प्र०
भू० रा० सहिता सन १९५९ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

१- यह कि अधी० न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया
के बिरुद्ध है।

२- यह कि अनावेदक के पिता काशीनाथ पटेल ने
सम्मिलित परिवार की भूमि २१६,२२१,२२२ तीन
किता स्थित ग्राम कुइयों तहसील रायपुर कर्चु० जिला
रीवा जिसमें अपीलान्ट के पिता का २० पैसे हिस्सा था,
में अनावेदक के पिता ने ८ पैसे आवेदक गण के पक्ष
में जरिये रजित बिक्री पत्र के माध्यम से हस्तान्तरित
कर कब्जा दखल दे दिया था उसी रक्वे का नामान्तरण
, नामान्तरण पंजी क० २ के माध्यम से जरिये रजित
दरतावेज आवेदक गण के पक्ष में हुआ था, आवेदक
गण के पक्ष में हुए नामान्तरण के सम्बन्ध में आवेदक
का कोई हक हित न होने से न तो वह रुचिकर
पक्षकार था, और ना ही उसे आवेदक गण के पक्ष में
किये गये नामान्तरण की सूचना ही देने की आवश्यकता
ही थी, किन्तु अनावेदक काशीनाथ का पुत्र होने से उसे
पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, मानकर अनावेदक
द्वारा प्रस्तुत धारा ५ म्याद अधी० का आवेदन पत्र
स्वीकार करने में अधी० न्यायालय ने भूल की है

1/2/2013

1/2/2013


(6)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-4445-III / 13

जिला-रीवा।

लक्षण प्रसाद / शिवदयाल पटेल वगैरः

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---|-----|
| 18.12.18 | <p>1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 27/अ-27/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 04.10.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>   | |